संख्या-465/2018/2934/22-2-2017-17(337)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 30 मई, 2018***

विषय:- जिला कारागार, फिरोजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रमोद उर्फ पप्पू पुत्र श्री सरदार सिंह निवासी जनपद-फिरोजाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-40164/प्रोबे-5-दयायाचिका/890 दिनांक 08.11.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, फिरोजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रमोद उर्फ पप्पू पुत्र श्री सरदार सिंह, जो-छिकाऊ, थाना-पचोखरा, जनपद-फिरोजाबाद का रहने वाला है। बन्दी द्वारा प्रधानी के चुनाव हारने की रंजिश को लेकर दिनांक 11.11.2005 को 02 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-235/2006 में भा0द0वि0 की धारा-148,302/149 व 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0- 4, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 06.02.2009 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 19.10.2016 तक 07 वर्ष 08 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 13 वर्ष 02 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति,के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी प्रमोद उर्फ पप्पू (बन्दी संख्या-135/09) पुत्र श्री सरदार सिंह निवासी जनपद-फिरोजाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-465/2018/2934(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, फिरोजाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in